न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 208 / 2024 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024 / 211
दायर दिनांक :– 25.09.2024 निर्णय दिनांक :– 22.07.2025

1. धाई पत्नी अहमद खां जाति मुसलमान निवासी भड़ला तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

सहायक कलेक्टर बाप जिला फलोदी (राज.)

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का इस आशय से पेश किया कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 16 / 6 रकबा 6.0703 सरहद मौजा भड़ला पटवार क्षेत्र नुरे की भुर्ज तहसील बाप में स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा व काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी उक्त भूमि पर प्रत्येक वर्ष काश्त का प्राकृतिक पैदावार का उपयोग व उपभोग लेते आ रहे है तथा इसी अनुसार ही मौके पर प्रार्थी की रहवासीय ढाणी, पानी का टांका एवं पशओं के बाड़े इत्यादि बना रखे है जिसमें प्रार्थी अपने परिवार सहित बारह ही मास निवास करता आ रहा है तथा संलग्न नजरी नक्शा अनुसार ही प्रार्थी ने पत्थर के खूंटे रोपकर तारबंदी कर रखी है। लेकिन वर्तमान मे सेग्रीगेशन योजना के तहत पटवारी हल्का द्वारा बिना किसी विधिक आदेश के ही प्रार्थी के कब्जा काश्त के विपरित तरमीम कर दी जो सरासर गलत एवं विधि विरूद्व है। प्रार्थी ने उक्त भूमि की तरमीम करवाने हेतु कभी भी किसी प्रकार का प्रार्थना पत्र एंव सहमति नहीं दी है। प्रार्थी का मौके पर कब्जा व काश्त अनुसार चला आ रहा है। इसलिये प्रार्थी ग्राम भड़ला के खसरा नम्बर 16 / 6 रकबा 6.0703 हैक्टेयर भूमि के नक्शा लट्ठा में की गई विधि विरूद्व तरमीम को निरस्त करवा कर कब्जा काश्त की तरमीम करवाने का अधिकारी है जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार बाप ने जवाब व मौका रिपोर्ट पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बहस में रखी गई।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सुनी गयी। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। विवादग्रस्त भूमि ग्राम भड़ला पटवार क्षेत्र नुरे की भुर्ज तहसील बाप जिला फलोदी

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

2024/211

के खसरा नम्बर 16/6 रकबा 6.0703 हैक्टेयर की तरमीम ऑनलाइन नक्शा में ही रखी है। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार प्रार्थी का कब्जा काश्त नहीं होने के कथन किये है। परन्तु पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की तरमीम पूराना लट्ठा में ही रखी है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम का पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.07.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर बाप (फलोदी)

(...राम पिण्डेल, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)